344
संख्या-343/2015-5585/नौ-5-15-02एनजीआरबीए/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 18 नवम्बर 2015

विषय: **"नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी कार्यक्रम"** के अन्तर्गत NONEAP मद में केन्द्रांश के रूप में प्राप्त धनराशि रू0 286.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यांश के रूप में रू0 122.57 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, वित्त, उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण के पत्र सं0 794/0061/एस0जी0आर0सी0ए0/07, दिनांक 15.09.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी कार्यक्रम"** के अन्तर्गत NON EAP मद में क्रमशः रू0 70 प्रतिशत की धनराशि रू0 286.00 लाख के सापेक्ष 100 प्रतिशत के रूप में कुल धनराशि रू0 408.57 लाख स्वीकृत की जानी है, जिसमे से भारत सरकार का अंश रू0 286.00 लाख राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण के खाते में जमा हो चुकी है और उक्त के सापेक्ष राज्यांश के रूप में 30 प्रतिशत की धनराशि रू0 408.57 -- रू0 286.00 = रू0 122.57 लाख को निम्नलिखित विवरण/शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है :-

(1) भारत सरकार के आदेश सं0-एफ-42/2014-15/407एन0एम0सी0जी0-मो0 डब्लू आर फण्ड, एफ- दिनांक 31.08.2015, द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

(2) उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/ भारतीय स्टेट बैक से आहरित कर व्यय की जायेगी ।

(3) इस स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैक/ पोस्ट आफिस /डिपाजिट खाते /पीएलए में नही रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशो के अनुरूप अनुमोदित योजना पर ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक हैं ।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा जिसका लिये स्वीकृत की जा रही है । स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिशा -निर्देशो के अनुसार यथासमय शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है ।

(6) भारत सरकार द्वारा परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राज्यांश की धनराशिचालू कार्यो के लिये स्वीकृत की जायेगी जिसके व्यय विवरण राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण द्वारा रखे जायेगे।

(7) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में से व्यय प्रथमिकता के अनुसार परियोजना पर व्यय की जायेगी ।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों /उपक्रमो में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

go finance mangal font

यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल-जल तथा सफाई-107-मल-जल सेवायें -01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101- नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत संचालित परियोजनाए (के.70/रा.30) -35-पूजींगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव ।

संख्या- 343/2015-5585(1)/नौ-5-15-02एनजीआरबीए/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो
7- वित्त निदेशक/ तकनीकी सलाहकार, राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ।
9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव ।

shashinaidu.gov.in